दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 15-07-2025

नाले का पानी फिर मिला प्रदूषित, भाटिया वाइंस पर लगाया ₹1.20 लाख का जुर्माना

जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को राज्य सरकार ने दी स्टेटस रिपोर्ट

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट के निर्देश पर शिवनाथ नदी और खजरी नाले के पानी की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जा रही है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभू दत्त गुरु की डिवीजन बेंच में इसकी रिपोर्ट सोमवार को प्रस्तुत की गई। बताया कि सतीघाट, ग्राम दगोरी में शिवनाथ नदी से पांच बार पानी के सैंपल लिए गए। सभी की जांच में पानी में घुलित ऑक्सीजन (DO) का स्तर 4 मि.ग्रा./ली. से अधिक पाया गया, जो मत्स्य पालन व वन्यजीव प्रजनन के लिए मानक के अनुरूप है। वहीं, 4 जुलाई को निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था मिलने पर भाटिया वाइंस पर 1.20 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। अब इस मामले पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी।

पिछले साल ग्राम दगौरी में भाटिया वाइंस से निकले प्रदूषित पानी की वजह से शिवनाथ नदी में लाखों की संख्या में मछलियों की मौत हो गई थी। इसे लेकर दैनिक भास्कर में छपी खबर पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की। भाटिया वाइंस समेत अन्य को नोटिस जारी किया गया। तब से इस मामले पर हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। सोमवार को बताया गया कि 11 अप्रैल से लेकर 8 जुलाई 2025 के बीच सैंपल लिए गए। इनमें घुलित ऑक्सीजन का स्तर 5.0 से 5.8 मि.ग्रा./लीटर के बीच रहा। हालांकि, खजरी नाला सूखा था। वहां पानी नहीं था।

प्रदूषित पानी नाले में बहा रहे थे, अव्यवस्था भी मिली

पर्यावरण मंडल ने 4 जुलाई को भाटिया वाइंस की जांच के दौरान गंभीर लापरवाही पाई। नाले के माध्यम से अपशिष्ट बाहर बहाया जा रहा था और हाउसकीपिंग व्यवस्था भी बेहद खराब मिली। इसके बाद नोटिस जारी किया गया। मंडल ने 8 जुलाई को दोबारा निरीक्षण किया और पाया कि अपशिष्ट जल के ट्रीटमेंट की व्यवस्था कर ली है। गंदे पानी का उपयोग शीतलन, पौधरोपण और धूल नियंत्रण में किया जा रहा है। साथ ही हाउसकीपिंग भी संतोषजनक पाई गई। हालांकि पहले हुए उल्लंघन को देखते हुए मंडल ने 9 जुलाई 2025 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।